| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>57/प्रा.पत्र/25 रामलाल/सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/12/25 | वकुलाप उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 16/12/25 को पेश हो। | |
| 16/12/25 | वकुलाप उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण का कथन रहा कि वर्ष 2021 में कोरोना की वजह से प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, तथा इसके पश्चात प्रार्थीगण अपने अभिभाषक से भी सम्पर्क नहीं कर सके थे, इस कारण प्रार्थीगण की अपील दिनांक 25/5/22 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी। इसके बाद बून्दी आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 25/6/24 को हुई। आदेश की नकल दिनांक 9/7/24 को प्राप्त हुई तथा यह प्रार्थनापत्र 29/7/24 को पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपील में जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहे हैं, वरन कोरोना की वजह से उपस्थित नहीं हो सके थे। इसलिए प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई की जावें। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | 57/प्रा॰पत्र/24 रामलाल / सरकार |
| | परोकार सरकार का कथन रहा कि कोरोना महामारी वर्ष 2020 एवं 2021 के दौरान रही थी, जबकि अपील अदमहाजरी अदम पैरवी में दिनांक 25/5/22 को खारिज हुई थी। इसप्रकार प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित नहीं होने का बताया गया कारण मनगढ़न्त है/ प्रार्थनापत्र मियाद बाहर पेश किया जाने से खारिज किये जाने योग्य है।<br><br>न्यायालय द्वारा पत्रावली व अपील की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अपील सं॰ 67/2017 बउनवान रामलाल बनाम सरकार बंगै॰ अपीलांट तथा उनके अधिवक्ता के नियत पेशी पर उपस्थित नहीं आने से दिनांक 25/5/2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई थी। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 25/6/24 को होना प्रार्थनापत्र में अंकित किया है। अपीलांट तथा उनके अधिवक्ता को 2 वर्ष तक आदेश की जानकारी नहीं होने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। कोरोना का बताया गया कारण भी संतोषजनक एवं विश्वसनीय नहीं है। वैसे प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने की समयसीमा 30 दिवस निर्धारित है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थनापत्र मियाद बाहर है तथा मियाद को |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | 57/ज.पत्र/25 रामलाल/सरकार | |
| | कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थनापत्र मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक गुणावगुण पर भी प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया गया, जिसके आधार पर उक्त अपील पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित हो। फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे। आदेश आज दिनांक 16/12/25 को सुनाया गया। | |
| | जिला कलेक्टर; बून्दी | |